

Naya Raipur, the 12th December 2014

NOTIFICATION

No. F 7-1/2013/32 — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2011), the State Government, hereby, confers the power on the Rent Control Tribunal, as specified in Section 8 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-1/2013/32. — छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 9 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की शक्तियां छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक को प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-1/2013/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-12-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th December 2014

NOTIFICATION

No. F 7-1/2013/32 — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2011), the State Government, hereby, confers the power on the Rent Controller, as specified in Section 9 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.